संख्या-11/2025/आई/900407/2025/फा.नं.10-22099/218/2020

प्रेषक,

विजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
सेक्टर-24 (आई.एफ.एम.टी.आर.) कैम्पस,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2025

विषय-पति-पत्नी की मृत्यु के बाद दो पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 31.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है कि ऐसे आश्रित पुत्र/पुत्री जिनके माता एवं पिता दोनों ही सरकारी सेवा में रहे एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु होने पर अपने माता एवं पिता दोनों की पारिवारिक पेंशन प्राप्त किये जाने हेतु दावे प्राप्त हो रहे हैं। सेवारत पति-पत्नी दोनों की मृत्यु के प्रकरणों की भांति सेवानिवृत्ति के उपरांत मृत्यु के प्रकरणों में प्राप्त दो पारिवारिक पेंशन के दावों को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं ?

2- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.03.1993, शासनादेश दिनांक 13.01.2016 एवं शासनादेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा दो पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है। पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में रहे हों तो उनके आश्रित को दो पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने के प्रकरणों में कृपया उपरोक्त शासनादेशों की व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in